

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/16/ १6713

जयपुर, दिनांक 27/6/17

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 107 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार विभागीय अधिसूचना क्रमांक प. 8(ग)()नियम/डीएलबी/12/9910 दिनांक 26.4.17 की निरन्तरता में एतद्वारा यह निर्देश प्रदान करती है कि अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/12/9910 दिनांक 26.4.17 की पालना में जिन प्रकरणों में पूर्ण राशि शास्ति सहित जमा हो गई है उन प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/16/ १6714 - २7176 दिनांक 27/6/17
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
4. जिला कलेक्टर/संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त/उपायुक्त/अधिक्षापी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त।
7. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक राजस्थान, अजमेर।
8. निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, राजस्थान।
9. समस्त अधिकारी निदेशालय/उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
10. जनसम्पर्क अधिकारी निदेशालय।
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
12. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी